रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 1145/2025/682/22-2-2025-17(515)/2017

लखनऊ: दिनांक: 04 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जसकरन सिंह (बन्दी सं0-28133) पुत्र श्री सुमेर सिंह, जो सरेहरी, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-290/1981 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, हरदोई के दण्डादेश दिनांक 29.07.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश 24.04.2014 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.10.2014 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2024 तक अपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 29 दिन तथा 12 वर्ष, 10 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1145/2025/682(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

6- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में योजित क्रि0 मिस रिट पिटीशन संख्या-4843(एम.बी.)/2025 जसकरन सिंह पुत्र सुमेर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in